



अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नये अपराध

शोपॅलिफ्टर



शोपॅलिफ्टिंग के गैंग को Petty आर्गनाइज्ड अपराध के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। दुकान, मॉल इत्यादि से जान बूझकर भुगतान किए बगैर सामान ले जाने के लिए अब कड़ी सजा है। (धारा 112)